0691

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ/प्रशा/स्था/2021/3964 दिनांक 14.04.2021

//कार्यालयीन आदेश//

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र.एफ 11–09/2020/1–9 भोपाल दिनांक 11.04.2021 के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, के आदेश क्रमांक 2834/स्था/6–2/एसंओएफ/26(2)/2021 दिनांक 14.04.2021 के परिपालन में कोरोना के गंम्भीर संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू अवधि मे विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष/अधिकारी/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आपकी कार्यालय मे उपस्थिति शत् प्रतिशत रहेगीं एवं आपके अधीनस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रतिदिन प्रत्येक विभाग/शाखा में 25 फीसदी की संख्या में ही कार्यालय में उपस्थिति रहें, शेष 75 प्रतिशत कर्मचारी Alternat दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहेगें। तथा कर्मचारी मोवाईल/दूरभाष से सम्पर्क मे रहकर कार्यालयीन कार्य का अपने निवास से ही निर्वहन करें यह प्रक्रिया प्रतिदिन रोटेशन से अपनाई जाए और इनके अभिलेख संबंधित विभाग के अधिकारी (प्रशासनिक/शैक्षणिक विभागाध्यक्ष) कार्यालय में सूचीबद्ध कर संधारित करें। आदेशों का कडाई से परिपालन सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता हैं कि वे अपने कार्यालयीन समय अपने निवास पर रहते समय अपना मोबाईल फोन बन्द न रखें ताकि उन्हे किसी भी तात्कालिकता की स्थिति में बुलाया जा सके। यदि मोबाईल बन्द रहने एवं सम्पर्क न होने की स्थिति में कर्मचारी का उक्त दिवस की अनुपस्थिति मानी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी, की ओर सूचनार्थ ।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप/सहा0 कुलसचिव (प्रशा0), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. विश्वविद्यालयीन वेबसाइट पर प्रसारित हेतु।

उप/सहा0कुलसचिव (प्रशा0)

1691